कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)

PH. NO. 07755-264140 **email.Id. mungelideo@gmail.com**

क्र./13179/मान्यता/विभागीय अनुमति/2024 मुंगेली,दिनांक 13/03/2024

प्रति,

प्रबंधन वर्ग
जेसीस शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति,
मुंगेली वि.ख.–व जिला–मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2019 की धारा 190,के प्रायोजन के लिए नियम 11 के उपनियम 4 के अधिन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 26.06.2023।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है,कि जेसीस शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति,मुंगेली वि.ख.–व जिला–मुंगेली (छ.ग.) पंजीयन –19 दिनांक 13.05.1991 के द्वारा जेसीस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मुंगेली वि.ख.– मुंगेली के नाम से कक्षा नर्सरी से बारहवी तक अंग्रेजी माध्यम (वाणिज्य,विज्ञान,कृषि) विभागीय मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण के आधार पर जेसीस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मुंगेली वि.ख.– मुंगेली के नाम से कक्षा नर्सरी से बारहवी तक अंग्रेजी माध्यम (वाणिज्य,विज्ञान,कृषि) संकाय में संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय का आबंटित मान्यता कोड **1218/13.03.2024** है।

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते

01. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
02. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (NO loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
03. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
04. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
05. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन–प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एव उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक–पृथक कक्ष।
- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक – पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
- बाधारहित पहुंच मार्ग, आदि।
- क्रीड़ा खेलकुद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक–पुथक उपलब्धता।

06. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।

07. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्यके वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।

08. विद्यालय ऐसे रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग. शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो। और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।

09. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।

10. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नहीं करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं.शिक्षा अधिकारी को तीन माह पूर्व लिखित में कारण सहित सूचित करना होगा।

11. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

13.3.24

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मुंगेली छ.ग.